न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1024/2024

अनवान : –

1. हुसैन खां 2. गुलाम हुसैन पिसरान नेक मोहम्द जाति मुस्लमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. जाकिर हुसैन पुत्र नेक मोहम्द जाति मुस्लमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. सरीया पत्नि नेक मोहम्द जाति मुस्लमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. जरीना 4. बलकीसा 5. मैना 6. हाजरा पुत्रीयान नेक मोहम्द जाति मुस्लमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर की जमाबंदी संवत्त 2072–2075 के खाता सं. 412/409 में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का प्रत्येक का 110/22359 हिस्सा दर्ज है तथा खाता सं. 149 में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का प्रत्येक का 10363/1383040 हिस्सा दर्ज है।

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर की जमागंदी संवत 2072–2075 के खाता सं. 149/150 के खसरा नं. 732 की 0.9740 है. खसरा नं. 828 की 7.8660 है, खसरा नं. 829 की 8.448 है. कुल 3 खसरेजात की 17.2880 हैक्टर भूमि थी जिसमें वादीगण के पिता नेक मोहम्द पुत्र खैरदीन का 10363/172880 हिस्सा था तथा रोही मौजा मन्दरपुरा की जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता सं. 412/409 के खसरा नं. 757 की 6.3360 हैक्टर, खसरा नं. 761 की 3.5030 हैक्टर, खसरा नं. 762 की 9.4470 हैक्टर, खसरा नं. 831 की 1.1380 हैक्टर, खसरा नं. 835 की 1.9350 हैक्टर कुल 5 खसरेजात की 22.359 हैक्टर भूमि थी जिसमें वादीगण के पिता नेक मोहम्द का 1141/1/2 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा था तथा वर्तमान में नेक मोहम्द का हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के ब. हिस्सा बराबर जमाबंदी में दर्ज है। नेक मोहम्द के जीवन काल मे ही वादीगण व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा किया जा चुका था किन्तु राजस्व रेकार्ड में भुमि का अलग–अलग नाम दर्ज नहीं किया गया था रोही मौजा मन्दरपुरा की जमाबंदी संवत्त 2072 के खाता सं. 409/339 में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता का 1141/1/2 हिस्सा में 1/6 हिस्सा अर्थात 9 बीघा 6/1/2 बिस्वा भूमि थी तथा रोही मौजा मन्दरपुरा की जमाबंदी संवत्त 2072–75 के खाता सं. 149 में 10363/172880 हिस्सा अर्थात 1. 0363 हैक्टर भूमि कुल दोंनों खातो में वादीगण के पिता नेक मोहम्द की 2.358 हैक्टर भूमि अर्थात कुल 3.388 हैक्टर भूमि थी जिसमें माता व बहिनों प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में त्याग कर दिया था इसलिए 3.388 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार थे इसलिए वादीगण के पिता नेक

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मोहम्द के जीवन काल में प्रतिवादी सं. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का बेचान नेक मोहम्द की मार्फत विक्रय कर दिया था व समस्त प्रतिफल प्रतिवादी सं. 1 ने प्राप्त कर वादीगण को एक लिखा–पढ़ी अपने हक व हिस्सा की भूमि को विक्रय करने व प्रतिफल प्राप्त करने की तहरीर व तस्दीक करवाकर वादीगण को दे दिया था इसलिए नेक मोहम्द की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा यही घोषणा न्यायालय से वादीगण करवापाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने कथन किया की वर्तमान में नेक मोहम्द का हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के ब. हिस्सा बराबर जमाबंदी में दर्ज है। प्रतिवादी स0 1 ता 6 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के पिता नेक मोहम्द के जीवन काल में प्रतिवादी सं. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का बेचान नेक मोहम्द की मार्फत विक्रय कर दिया था व समस्त प्रतिफल प्रतिवादी सं. 1 ने प्राप्त कर वादीगण को एक लिखा–पढ़ी अपने हक व हिस्सा की भूमि को विक्रय करने व प्रतिफल प्राप्त करने की तहरीर व तस्दीक करवाकर वादीगण को दे दिया था इसलिए नेक मोहम्द की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा इसलिए प्रतिवादी स0 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण द्वारा केवल कथन किया गया है कि प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग किया गया है अपने कथनों के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज सहमति/दस्बरदारी पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग किया गया हो। वादी द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनेां के आधार पर वादी न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ...04/06/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1024 / 2024

अनवान : –

1. हुसैन खां 2. गुलाम हुसैन पिसरान नेक मोहम्द जाति मुस्लमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. जाकिर हुसैन पुत्र नेक मोहम्द जाति मुस्लमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. सरीया पत्नि नेक मोहम्द जाति मुस्लमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. जरीना 4. बलकीसा 5. मैना 6. हाजरा पुत्रीयान नेक मोहम्द जाति मुस्लमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1024 सन 2024 निर्णय दिनांक 04/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री महेशचन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर